| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्र.सं. 41/2025 जीसीएमएस : 2025/73<br>मलकीत सिंह बनाम सरकार<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम | नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/1632 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली करें। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।<br>प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से चक 10 एएस का खाता सं. 56 प.नं. 215/462 मु.नं. 8 कि. नं. 1 ता 5, 10 का कुल 1.518है. कमाण्ड खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय संहबन से लिपिकीय त्रुटि के कारण मलकियत सिंह दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम मलकीत सिंह है तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार के जन आधर कार्ड आदि तमाम पहचान के दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मलकीत सिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मलकियत सिंह के स्थान पर मलकीत सिंह दुरूस्त करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।<br>प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार चक 10 एएस का प.नं. 215/462 कुल 1.518है. रकबा मलकीयत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति कम्बोसिख सा. 10 एएस के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा प्रार्थी द्वारा श्यामसुन्दर पुत्र सरनामसिंह जाति राजपूत से खरीदशुदा है जिसमें प्रार्थी का नाम मलकियत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह अंकित है। जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 48 दिनांक 05.02.1996 से मलकियत सिंह का नाम दर्ज हुआ जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अंकित है।<br>प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान संबंधित दस्तावेजों में नाम मलकीत सिंह अंकित है। प्रशासक ग्राम पंचायत 10 एएस के द्वारा दिनांक 16.04.2025 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार मलकियत सिंह व मलकीत सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के साथ प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति नामान्तरकरण एवं आदेश श्रीमान् जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर का अवलोकन किया। श्रीमान् जिला कलैक्टर महो. श्रीगंगानगर के द्वारा जारी आदेश में नाम मलकीयत सिंह अंकित है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करते समय किसी प्रकार की लिपिकीय/टंकन अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है जिसकी शुद्धि की जाए। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।<br>अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Shakuntala<br>Date: 2025.08.20 11:41:23 IST<br>Reason: SelfAttested<br>शकुन्तला<br>R.A.S.<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीविजयनगर<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्री विजयनगर<br>उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर | |